

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर)
आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5 प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/ 71(आ0)/प0रा0, दिनांक:-06.03.2020 के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कराये गये कार्यों के बकाया राशि भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2015001090002 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन-उप मुख्य शीर्ष -00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप शीर्ष-0002-जिला परिषदों /पंचायत समितियों /ग्राम पंचायत का चुनाव विषय शीर्ष -0002.13.01-कार्यालय व्यय ईकाई में कुल:- ₹ 22,99,111.00 (बाईस लाख निनान्वे हजार एक सौ ग्यारह रूपये) का आवंटन प्राप्त हुआ है ।

जिसे अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम से सामने स्तम्भ-3,4 एवं 5 में अंकित राशि को उपावटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	-0002.13.01- कार्यालय व्यय ईकाई
1	2	3
1.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	₹ 22,99,111.00
	कुल योग :-	₹ 22,99,111.00 (बाईस लाख निनान्वे हजार एक सौ ग्यारह रूपये)

उपावटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998, 256/ दिनांक-26.02.2019, 3392 दिनांक:-01.03.2019,732 दिनांक:-31.07.2019, 6786 दिनांक:-19.08.2019 एवं 885 दिनांक:-03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय ।

उपावटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पडताल के बाद ही किया जाय ,यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पुरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपावटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ,ईकाईयों का कोड ,विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें । ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

उपावटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

उपावटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय । तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपावटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0-तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावटित राशि की निकासी करते समय नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

(२०) -
जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर।

ज्ञापांक...../पं० दिनांक.....

- प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि इस उपावंटन आदेश को मुंगेर के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।
प्रतिलिपि:- श्री जग नारायण राय, लिपिक, मेकर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि CFMS के माध्यम से राशि को उपावंटित करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :- अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 5 प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/ 71 (आ०)/दिनांक:-06.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Ku
13/03

जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुंगेर।